| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा<br>श्रीमती ~~साधना देवी बनाम महादेव वगैरह~~<br>किस्म- वाद 70-10/17 | |
| आपसी राजीनामा सन 2015 में ही श्रीमान तहसीलदार बनेड़ा द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर रेकार्ड में अमल दरामद<br>15/06/2018<br>[illegible]<br>62. | 15.06.2018<br>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बेंरा में पैश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान नियत शिविर के दौरान हाजिर नही। शिविर में मौजूद राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा मार्फत भु.अ.निरीक्षक बेंरा ने यह अवगत कराया कि इस मौजूदा वादपत्र में अंकित उभयपक्षो के मध्य आपसी राजीनामें से वर्ष 2015 में ही तहसील कार्यालय स्तर पर किया जा चुका है। प्रमाणिकता के तौर पर राज्य पक्ष से आदेशिका पर इसका अंकन लिया गया। ऐसी स्थिति में वाद में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित/शेष नही रह जाती है। लिहाजा वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट में वादीया द्वारा चाही गई दाद/अनुतोष, वादीया पहले से ही प्राप्त कर चुका होने से, प्रकरण को ड्रोप किये जाने के आदेश पारित किये है।<br>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बनेड़ा (भीलवाड़ा) | |